



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1310) पटना, मंगलवार, 5 अगस्त 2025

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त 2025

सं० 11/नियमावली 01-02/2023/2128—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।—

(1) यह नियमावली “बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2025” कही जाएगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के नियम-6(iv) के बाद नियम-6(v) का अंतःस्थापन।— उक्त नियमावली के नियम-6(iv) के बाद नियम-6(v) निम्नवत् अंतःस्थापित किया जाता है—

“6(v) विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल रिक्त पदों का 40 प्रतिशत पद बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक अथवा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा।

परन्तु 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध तदनुसार योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसी शेष रिक्तियाँ 60 प्रतिशत रिक्तियों के लिए अर्हता प्राप्त कोटि के योग्य अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा० एस० सिद्धार्थ,
अपर मुख्य सचिव।

The 5th August 2025

No. -11/Rule-01-02/2023/2128—In exercise of the powers conferred under Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar, for amending the Bihar State School Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2023, hereby makes the following Rules:-

1. **Short Title, Extent and Commencement** |-

(1) These Rules shall be called "Bihar State School Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) (Amendment) Rules, 2025".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Insertion of Rule 6 (v) after Rule 6 (iv) of the Bihar State School Teacher (Appointment, Transfer, Disciplinary Proceedings and Service Conditions) Rules, 2023** |- Rule 6 (v) is inserted after Rule 6 (iv) of the said Rules as follows -

“6 (v) 40 percent of the total vacant posts for appointment to the post of School Teacher shall be filled by candidates who have passed Matriculation or Intermediate from educational institutions situated within the State of Bihar.

Provided that if eligible candidates are not available against 40 percent of the vacancies, such remaining vacancies may be filled by eligible candidates of the category who qualify for 60 percent of the vacancies.”

By Order of the Governor of Bihar,

Dr. S. Siddharth,

Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1310-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>